संख्या-12/2020/1326/96-आयुष-1-2020-39/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवाएं ,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-648/योजना/2019-20, दिनांक 27-03-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित 05 स्थानों में 04 शैयया चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 08-07-2015 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार (प्रति चिकित्सालय हेतु धनराशि रू0 21.82 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **02**-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-**110**- अस्पताल तथा औषधालय-**04**-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय-**0401**-अनवासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद-**24**-वृहद् निर्माण कार्य में धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 30.15 लाख वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के अन्तर्गत निम्नवत एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

क्र0सं0	जनपद	स्थान	चिकित्सालय का प्रकार	निर्माण मानक	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	सीतापुर	सरौरा	04 शैयया	20.97 लाख	6.00 लाख	43.00 लाख
2	जालौन	कुइया	04 शैयया	20.97 लाख	6.00 लाख	168.00 लाख
3	लखनऊ	समेसी	04 शैयया	20.97 लाख	6.00 लाख	83.82 लाख
4	लखनऊ	कठवारा	04 शैयया	20.97 लाख	6.00 लाख	83.82 लाख
5	उन्नाव	बारा	04 शैयया	20.97 लाख	6.15 लाख	52.90 लाख
योग					30.15 लाख	

1- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
3- प्रायोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।

5- परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक का होगा।

6- परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/ संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।

9- प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य हैं एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

10- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

11- प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

12- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

13- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

14- सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

15- वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.8.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

17- अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।

18- निदेशक, संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

110-अस्पताल तथा औषधालय, 04-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 01-अनावासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 12/2020/1326(1)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी- सीतापुर/जालौन/लखनऊ/उन्नाव।
(4) कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी- सीतापुर/जालौन/लखनऊ/उन्नाव।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) प्रभारी अधिकारी, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकपेड) (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक आयुर्वेद सेवायें।
(8) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।